सं० फा० 1(20)ई० III(ए)/67

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 1968

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 'तत्निम्न नियम' के अधीन लाभ दिया जाना।

इस मंत्रालय के दिनांक 29 जनवरी, 1963 के कार्यालय ज्ञापन सं० 6(23)ई० III/62 में निहित आदेशों+ का हवाला देते और यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि संवर्ग से बाहर के अधिकारियों को तत्निम्न नियम के अधीन स्थानापन्न पदोन्नति का लाभ दिये जाने के प्रश्न की समीक्षा की गयी है और राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित निर्णय किया है।

+ डाक तार संकलन- मूल नियम 30 के नीचे भारत सरकार के निर्णय सं० 9 के नीचे नोट के रूप में उद्धृत।

2. तत्निम्न नियम के अन्तर्गत स्थानापन्न पदोन्नति का लाभ उक्त नियम में निर्धारित शर्तें पूरी होने पर, किसी संवर्ग में 120 दिन से अधिक की अवधि के लिए रिक्त स्थानों पर की गयी पदोन्नतियों के प्रति ही दिया जाना चाहिये। अर्थात् आरम्भिक रिक्त स्थान तथा अनुवर्ती रिक्त स्थान जिनके आधार पर लाभ जारी रखा जाना है, उनकी प्रत्येक की अवधि 120 दिन से अधिक होनी चाहिये। उक्त लाभ रिक्त स्थानों की ऐसी शृंखला के प्रति की जाने वाली पदोन्नतियों के सम्बन्ध में नहीं दिया जाना चाहिये जिनकी अवधियों को जोड़ कर मिलाने से 120 दिन से अधिक की अवधि बनती हो।

(कृ० पृ० उ०)

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श कर के जारी किये गये हैं।

हस्ताक्षरितः
(वी० दुरैस्वामी)
उप सचिव, भारत सरकार।

सेवा में,

सभी मंत्रालयों आदि को।

(प,स-2, ब)